



2026: AHC: 24062-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - **270/2026**

रामराज यादव याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राम प्रताप यादव, देवव्रत यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : विजय बहादुर मौर्य की ओर से विकास रस्तोगी, जगदीश पाठक

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह याचिका, जो कथित रूप से जनहित में है, याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादियों को यह निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की गई है कि वे अशोक मार्केट के पास अविनाश टेंट हाउस से ओम ज्वेलर्स तक जाने वाली सड़क, जो मोहल्ला नैका, झूँसी, प्रयागराज में स्थित है, पर किए गए अतिक्रमण पर उचित कार्रवाई करें और उक्त सड़क पर जलभराव से बचने के लिए उचित मार्ग, प्रकाश और जल निकासी सुनिश्चित करें।
2. याचिका और याचिका के साथ संलग्न चित्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि याचिकाकर्ता निर्माण के किस हिस्से को अतिक्रमण बता रहा है।
3. याचिकाकर्ता के वकील से बार-बार पूछे जाने पर भी, वह कथित अतिक्रमण को इंगित करने में सक्षम नहीं थे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. मामले के उस परिप्रेक्ष्य में, उठाई गई दलील पूरी तरह से अस्पष्ट और सतही होने के कारण, कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।
5. जलभराव से संबंधित दलील के संबंध में, नगर निगम, प्रयागराज की ओर से निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह संकेत देते हैं कि आवश्यक कार्य करने के लिए ₹25,69,000/- का अनुमान तैयार किया गया है और आवश्यक धन की उपलब्धता पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
6. उपरोक्त वस्तुस्थिति के दृष्टिगत, बिना किसी आधार के अतिक्रमण से संबंधित दलील को खारिज किया जाता है। हालांकि, प्रतिवादी नगर निगम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि कार्य करने के लिए सुझाए गए आवश्यक कदम शीघ्रता से उठाए जाएं।
7. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

दिनांक: 4 फरवरी, 2026

ए.एच.ए./साज़िया

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"